न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/54/2021	14.07.2021	20.04.2022

बउनवान

1–भोलाराम उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र श्री मामराज जाति माली निवासी ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर

––प्रार्थी

(बनाम)

1–कानाराम उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र श्री मामराज जाति माली निवासी ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर
2–धन्नालाल उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र श्री नोन्दा जाति माली निवासी ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर
3–चुन्नीलाल उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र श्री नोन्दा जाति माली निवासी ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर
4–देवीसहाय उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र श्री नोन्दा जाति माली निवासी ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर
5–मनोहरी उम्र करीब 68 वर्ष पुत्री श्री नोन्दा पत्नी श्री––––––जाति । माली निवासी हाल तिजारा फाटक केपास,अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान,
6–महादेवी उम्र करीब 63 वर्ष पुत्री श्री नोन्दा पत्नी श्री रामलाल जाति माली निवासी हाल माधोगढ तहसील मालाखेंडा जिला अलवर राजस्थान,
7– पूनी उम्र करीब 61 वर्ष पुत्री श्री नोन्दा पत्नी श्री गुलाब जाति माली निवासी हाल माधोगढ तहसील मालाखेंडा जिला अलवर राजस्थान,
8–नारायणी उम्र करीब 55 वर्ष पुत्री श्री नोन्दा पत्नी श्री परछीराम जाति माली निवासी हाल ग्राम माधोगढ तहसील मालाखेंडा जिला अलवर राजस्थान,
9– रामगोपाल उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र श्री मौजी जाति माली निवासी ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर
10– रामस्वरूप उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र श्री भवाना जाति माली निवासी ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर
11– हरिनारायण उम्र करीब 63 वर्ष पुत्र श्री मामराज जाति माली निवासी ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर
12– ग्यारसी उम्र करीब 45 वर्ष पुत्री श्री मामराज पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण सैनी जाति माली निवासी हाल ग्राम माधोगढ तहसील मालाखेंडा जिला अलवर राजस्थान,
13– सन्तो उम्र करीब 70 वर्ष पुत्री श्री मामराज पत्नी श्री हरिकिशन सैनी जाति माली निवासी हाल ग्राम माता का नाला रेल्वे स्टेशन के पास राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
14– सूसी उम्र करीब 50 वर्ष पुत्री श्री मामराज पत्नी श्री रामनिवास जाति माली निवासी हाल ग्राम माधोगढ तहसील मालाखेंडा जिला अलवर राजस्थान,
15– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212
राज0 काश्त0 अधि0 1955

:निर्णय:

वकील वादी ने मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के पेश किया कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या नया 179 पुराना 105 में वर्णित आराजी हाला खरारा नम्बर 264 रकबा 0 .22 हैक्टेयर, 265 रकबा 0.77 हेक्टेयर, 282 रकबा 0 12 हैक्टेयर, 283 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 284 रकबा 0. 13 हैक्टेयर, 285 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 293/1332 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 339 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 340 रकबा 0 .14 हैक्टेयर, 341 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 343 रकबा 0 22 हैक्टेयर, 344 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 713 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 716 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 717 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 720

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

रकबा 0.18 हैक्टेयर, 721 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 722 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 723 रकबा 0 20हैक्टेयर, 829 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 830 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 832 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 833 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 834 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 835 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 836 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 894 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 899 रकबा 0.47 हैक्टेयर, 900 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 901 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 902 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 903 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 904 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 905 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 906 रकबा 0 05 हैक्टेयर, 908 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 909 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 910/1346 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 38 कुल रकबा 5.76 हैक्टेयर स्थित ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर मिन वादी व असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस विवादित आराजी के साबिक व हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मिन वादी व असल प्रतिवादीगण के नाम का अंकन हो रहा है। विवादित आराजी में असल प्रतिवादनी संख्या 12 ग्यारसी 1/24 हिस्सा, व असल प्रतिवादनी संख्या 13 सन्तो 1/24 हिस्सा की अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार हैं, जिन्होने अपना अपना उक्त हिस्सा मिन वादी के हक में जरिये पंजीकृत हक–त्याग पत्र दिनांक 06–03–2019 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 202 पृष्ठ संख्या 117 क्रम संख्या 201903070100948 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 807 पृष्ठ संख्या 190 से 201 उप पंजीयक द्वितीय अलवर राजस्थान द्वारा हक त्याग कर दिया और विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानो के अनुसार हक–त्याग पत्र पंजिबद्ध कराकर कब्जा अपने अपने हिस्से की आराजी पर मिन वादी का मौके पर वास्तविक/ भौतिक रूप से दे दिया, जिस पर मिन वादी वर्तमान में काबिज हैं। यह कि उक्तानुसार विवादित आराजी में मिन वादी का 3/24 हिस्सा व असल प्रतिवादी सं.1 का 1/24 हिस्सा तथा असल प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 8 का 1/4 हिस्सा, असल प्रतिवादी संख्या 9 का 1/4 हिस्सा, असल प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा, असल प्रतिवादी संख्या 11 का 1/24 हिस्सा, असल प्रतिवादी संख्या 14 का 1/24 हिस्सा हैं। एंव इसी कदर मिन वादी व असल प्रतिवादीगण का मौके पर शामलात में कब्जा काश्त हैं, तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में मिन वादी व असल प्रतिवादीगण के नाम का अंकन हो रहा है। विवादित आराजी अबट है, जिसका अभी तक बाहमी अथवा कानूनी तौर पर, लिखित अथवा जुबानी तौर पर विभाजन नही हुआ है। मिन वादी व असल प्रतिवादीगण शामलात में विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, तथा शामलात में ही लगान आदि जमा कराते आ रहे है। विवादित आराजी अबट होने के कारण विवादित आराजी में अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी प्रत्येक इंच प्रत्येक भाग में मिन वादी व असल प्रतिवादीगण का उनके उक्त हिरसेनुसार हक व हिस्सा है। यह कि यद्यपि अब तक गिन वादी व असल प्रतिवादीगण शामलात में विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करते आ रहे थे। लेकिन अब असल प्रतिवादीगण के मन में मिन वादी के प्रति वेईमानी व दुर्भावना आ गई है, और असल प्रतिवादीगण मिन वादी का हिस्सा गलत हथकण्डे अपनाकर हडप करना चाहते है। इस कारण से असल प्रतिवादीगण मिन वादी से दिली रंजिश रखने लग गये है। विवादित आराजी मिन वादी व असल प्रतिवादीगण की शामलाती आराजी हैं, जो वर्तमान में वादी व असल प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। दिनांक 07–07–2021 को भी जब मिन वादी अपने हिस्से की उक्त विवादित आराजी में कार्य काश्त कर रहा था, तो असल प्रतिवादीगण ने मिन वादी के कब्जे काश्त करने में रूकावट व मजाहमत की, एंव आपत्ति करने पर मिन वादी से झगडा फसाद करने पर उतारू हो गये, जिस पर आस पास के न कराया जाकर अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी आराजी दिलाकर पत्थरगढी कराकर दखल दिलाया जाना तथा अलग खाता व लगान कायम कराया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है, व राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन कराया जाना अतिआवश्यक है। असल प्रतिवादीगण ने बेईमानी व बदनियती से मिन वादी को उसके हिस्से की उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर अपना कब्जा कर लिया, और मिन वादी को कुल कार्य काश्तकारी नही करने दिया, अथवा विवादित आराजी को प्लॉट आदि काटकर बेचान कर किसी कदर खुर्दबुर्द कर दिया, या उसमें किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कर दिया, तो मिन वादी के जायज कानूनी हक हकूक जायल होकर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

खतरे में पड़ जावेंगे, तथा बेजा मुकदमाबाजी व झगडाबाजी बढेगी, तथा मिन वादी को ऐसा भारी नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा, कि जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार नही हो सकेगी, कि जिस कारण से असल प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है, कि असल प्रतिवादीगण मिन वादी को उसके उक्त हिस्से से किसी कदर बेदखल ना करे, तथा मिन वादी को उसके कब्जे व कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने, जोतने, काटने, समेटने, ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहसत ना करे। उक्त विवादित आराजी में प्लॉट आदि काटकर उनको विक्रय कर किसी प्रकार रहन बय हिबा आदि हस्तान्तरित न करे, तथा किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण ना करे। मौके की रूह एंव दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया केस व सुविधा एंव न्याय का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति पूरी तरह वादी के पक्ष में साबित है। उक्त तीनो बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में किसी प्रकार साबित नही है। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस मोखिक रूप से अर्ज किये जावेगे। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाकर अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को किया जावे, कि वो विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या नया 179 पुराना 105 में वर्णित आराजी हाला खरारा नम्वर 264 रकबा 0 .22 हैक्टेयर, 265 रकबा 0.77 हेक्टेयर, 282 रकवा 0 12 हैक्टेयर, 283 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 284 रकबा 0. 13 हैक्टेयर, 285 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 293/1332 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 339 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 340 रकबा 0 .14 हैक्टेयर, 341 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 343 रकबा 0 22 हैक्टेयर, 344 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 713 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 716 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 717 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 720 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 721 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 722 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 723 रकबा 0 20हैक्टेयर, 829 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 830 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 832 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 833 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 834 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 835 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 836 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 894 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 899 रकबा 0.47 हैक्टेयर, 900 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 901 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 902 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 903 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 904 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 905 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 906 रकबा 0 05 हैक्टेयर, 908 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 909 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 910/1346 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 38 कुल रकबा 5.76 हैक्टेयर स्थित ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर राजस्थान में वादी को उसके उक्त हिस्से से किसी कदर बेदखल ना करे, तथा वादी को उसके कब्जे व कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने, जोतने, काटने, समेटने, ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे। उक्त विवादित आराजी को प्लॉट आदि काटकर बेचान कर किसी प्रकार रहन बय हिबय आदि हस्तान्तरित न करे, किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण ना करे, राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे ।खर्चा मुकदमा प्रार्थी वादी को अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या– 01, 02, 04 व 11 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि वादी ने विधि विरूद्व तथा मनगढन्त व मिथ्या तथ्यों व तारीख को आधार बना कर वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया है वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की में आराजी है। विवादित हक त्याग दस्तावेज के बाबत में प्रतिवादी संख्या –13 संतो देवी के द्वारा एक वाद पत्र मय स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय सिविल व्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या– 01 अलवर में बअनुवान संतोदेवी बनाम भोलाराम वगैहरा के पेश किया हुआ है एवं उपरोक्त प्रकरण में ही विवादित आराजीयात के संबंध में प्रार्थना पत्र संख्या46/89/19 – अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1. व 02 तथा 151 सिविल प्रकिया संहिता का पेश किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23–05–2019 को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि विवादित आराजी में प्रार्थीया के हिस्से की हद तक व हक त्याग पत्र दिनांक 06–03–2019 की आड में प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत :पैदा ना करे। और विवादित आराजी के संबंध में राजस्व रिकोर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

गये है। जो आदेश आज तक प्रभावी है। तथा किसी प्रकार से अपास्त नही किये गये है। जिसके तदुपरान्त भी वादी ने तथ्यों को छिपाते हुये उक्त वाद पत्र/ प्रार्थना पत्र माननीय व्यायालय में पेश किया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य वादी ने अपने वाद पत्र में जानबूझ कर गलत हिस्सा दर्ज किया है तथा राजस्व रिकोर्ड के अनुसार हिस्सेदारी दर्ज नही की गई है। तथा राजस्व रिकोर्ड के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है। जिन्होंने पूर्व में ही बाहमी तौर पर बॅटवारा कर लिया था और अपने अपने हिस्से पर काबिज है। वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की आराजी है जिस आराजी का मिन वादी एवं प्रतिवादीगण ने बाहमी तौर पर बॅटवारा कर लिया है तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त एवं रिहायश करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण की काफी पुरानी रिहायश है जिससे साफ जाहिर है कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी आवश्यकतानुसार मकानात का 'निर्माण कर लिया और अपने परिवार सहित रिहाश कर रहे है तथा शेष जमीन पर कृषि काश्त की जा रही है। आराजी अबॅट होने की . बाबत वादी द्वारा सरासर झूठा तथ्य. दर्ज किया है जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण काफी अरसे पूर्व से ही अपने बुजुर्गों के समय से ही अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है इसलिये भी वादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। मिन पतिवादीगण एवं वादी जब अपने अपने हिस्से पर काबिज है तो गलत हथकण्डे अपना कर विवादित आराजी हडपने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रतिवादीगण शांति प्रिय व कालूल में आस्था रखने वाले व्यक्ति है जो कभी लठ बल का प्रयोग नही करते है और नाही विवादित आराजी में प्लॉट आदि काट कर विक्रय करते है। वादी ने मिथ्या तथ्य अंकित किये है। मौके पर झगडा फिसाद होने की कोई संभावना नही है। क्यों कि वादी एवं प्रतिवादीगण काफी अरसे से अपने अपने हिस्से पर मकानात बना कर रिहायश एवं शेष आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने गलत 'तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जोकि पोषणीय नही है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 07–07–2021 को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद या झगडा नही हुआ और नाही वादी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की है विवादित आराजी में प्लाट आदि काटकर बेचान करने एवं कच्चे पक्का निर्माण करने से रोकने आदि की कहानी झूठी दर्ज की है जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण अपने – अपने बुजुर्गों के समय से ही अपने अपने हिस्से पर बुजुर्गो बाहमी बॅटवारे के अनुसार काबिज है तथा अपने अपने हिस्से पर निर्माण कर उपयोग उपभोग कर रहे है तथा शेष आराजी पर शांति प्रिय तरीके से कृषि काश्त करते चले आ रहे है मौके पर किसी भी प्रकार का कोई झगडा फिसाद नही है। और नाही झगडा फिसाद होने की संभावना है। वादी ने प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकोर्ड के अनुसार अपना हिस्सा का अंकन नही किया है तथा अपनी मनमर्जी से झूठे तथ्यों के आधार पर गलत हिस्सा का अंकन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जोकि काबिल खारिज किये जाने योग्य है। वादी एवं प्रतिवादी अपने बुजुर्गों के समय से ही बाहमी बॅटवारे के अनुसार ही काबिज है और अपने –अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है इसलिये अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का बॅटवारा होना शेष नही है। नाही पत्थरगढी किये जाने की आवश्यकता है। बल्कि वादी ने दुर्भावना पूर्वक गलत तथ्यों के आधार पर झूठ बोल व कपट पूर्ण कार्यवाही कर विश्वासघात करते हुये तथ्यों को छिपाते हुये हक त्याग का दस्तावेज अपने बहिनों से करवाया है जिस दस्तावेज को निरस्त करने के लिये वाद प्रतिवादी संख्या 13 के द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या– 01 अलवर में पेश किया है जो विचाराधीन है। वादी ने मिन प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर उपरोक्त वाद पत्र पेश किया है जोकि काबिल खारिज किये जाने योग्य है। वादी व प्रतिवादीगण अपने बुजुर्गों के समय से ही बाहमी बॅटवारे के अनुसार अपने – अपने हिस्से पर काबिज है और अपने अपने परिवार की आवश्यकतानुसार विवादित आराजी पर मकान बना कर रिहायश कर रहे है तथा शेष विवादित आराजी पर कृषि काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने विवादित आराजी से बेदखल करने, कब्जा करने, कुल कार्य काश्तकारी नहीं करने एवं विवादित आराजी में प्लाट काट कर बेचने व खुर्द – बुर्द करने तथा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

कच्चा – पक्का निर्माण करने एवं हक हकूक बाधित व जायल होने की बात गलत दर्ज की है। मौके की रूह एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम द्रष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति मिन प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के पक्ष में पूरी तरह से साबित है उक्त बिन्दु मौके की रूह एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार से साबित नहीं है। इसलिये भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र 212 के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओ प्रथम द्रष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति पर गौर करना होता है,

प्रथम द्रष्टया केसः– आया सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज गौर कर यह देखना होता है,कि आया प्रार्थी का प्रथम द्रष्टया केस बनना पाया जाता है अथवा नही मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 179 पुराना 105 में वर्णित आराजी हाला खरारा नम्बर 264 रकबा 0 .22 हैक्टेयर, 265 रकबा 0.77 हेक्टेयर, 282 रकवा 0 12 हैक्टेयर, 283 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 284 रकबा 0. 13 हैक्टेयर, 285 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 293/1332 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 339 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 340 रकबा 0 .14 हैक्टेयर, 341 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 343 रकबा 0 22 हैक्टेयर, 344 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 713 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 716 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 717 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 720 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 721 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 722 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 723 रकबा 0 20हैक्टेयर, 829 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 830 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 832 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 833 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 834 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 835 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 836 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 894 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 899 रकबा 0.47 हैक्टेयर, 900 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 901 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 902 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 903 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 904 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 905 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 906 रकबा 0 05 हैक्टेयर, 908 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 909 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 910/1346 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 38 कुल रकबा 5.76 हैक्टेयर स्थित ग्राम गूजूकी तहसील व जिला अलवर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी में प्रार्थी ने हक त्याग के आधार पर वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी नें न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 अलवर के निर्णय दिनांक 23.05.2019 बउनवान संतो देवी बनाम भोलाराम प्रा.प. अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 तथा धार 151 सिविल प्रक्रिया संहिता। की प्रति प्रस्तुत की है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी में हक त्याग पत्र दिनांक 06.03.2019 की आड में प्रार्थीया का उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करने बाबत् आदेश पारित किये है। सिविल न्यायालय में हक त्याग पत्र को चुनौती दी जा चुकी है। तथा स्थगन आदेश प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में हक त्याग पत्र प्रभाव में नही है। इस प्रकार प्रथम द्रष्टया केस प्रार्थी के हक में साबिक नहीं होता है। **2.सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से प्रश्नगत हक त्याग पत्र दिनांक 06.03.2019 को माननीय सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। माननीय सिविल न्यायालय से हक त्याग पत्र में दर्ज हिस्से पर स्थगन आदेश प्रभावी है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही पाया जाता है।

3.नापूर्ति क्षतिः– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार हक त्याग पत्र सिविल न्यायालय में बिंससमदहम हो चुका है। तथा स्थगन आदेश प्रभावी है। प्रथम द्रष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में साबित नही होते है। नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होती है। इस प्रकार तीनो बिन्दु प्रार्थी के हक में साबित नही होने पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधि. बाबत इस न्यायालय के पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 27.07.2021 बाबत विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2071–2074 खाता संख्या नया 179 पुराना

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

105 में वर्णित आराजी हाला खरारा नम्वर 264 रकबा 0 .22 हैक्टेयर, 265 रकवा 0.77 हैक्टेयर, 282 रकवा 0 12 हैक्टेयर, 283 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 284 रकबा 0. 13 हैक्टेयर, 285 रकवा 0.13 हैक्टेयर, 293/1332 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 339 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 340 रकवा 0 .14 हैक्टेयर, 341 रकवा 0.20 हैक्टेयर, 343 रकबा 0 22 हैक्टेयर, 344 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 713 रकवा 0.20 हैक्टेयर, 716 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 717 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 720 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 721 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 722 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 723 रकबा 0 20हैक्टेयर, 829 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 830 रकवा 0.02 हैक्टेयर, 832 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 833 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 834 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 835 रकवा 0.01 हैक्टेयर, 836 रकवा 0.29 हैक्टेयर, 894 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 899 रकबा 0.47 हैक्टेयर, 900 रकवा 0.02 हैक्टेयर, 901 रकवा 0.18 हैक्टेयर, 902 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 903 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 904 रकवा 0.03 हैक्टेयर, 905 रकवा 0.34 हैक्टेयर, 906 रकबा 0 05 हैक्टेयर, 908 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 909 रकवा 0.10 हैक्टेयर, 910/1346 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 38 कुल रकबा 5.76 हैक्टेयर वाके ग्राम गुजुकी तहसील अलवर खारिज किया जाता है।

(प्यारे लाल सोढ़वाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोढ़वाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर